पटवारी हल्का राजपुर बड़ा बनाम देबीसहाय वगैरा

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का राजपुर बड़ा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कैलाश पुत्र रामसहाय गुर्जर निवास ग्राम राजपुर बड़ा द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें आ0ख0न0 1521 रकबा 0.19 हे0 में से 0.05 हे0 किस्म गैर मु0 नाला सिवायचक वाके ग्राम राजपुर बड़ा से अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन लिखित में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को न्यायहित में अतिक्रमण हटा लेने हेतु अवसर दिया किन्तु मौके पर से अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अप्रार्थी की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। आज बावजूद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री कैलाश पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी ग्राम राजपुर बड़ा को आराजी ख0न0 1521 रकबा 0.19 हे0 में से 0.05 हे0 किस्म गैर मु0 नाला सिवायचक वाके ग्राम राजपुर बड़ा से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, तथा सरह लगान 0.10 की 50 गुणा में मु0 05.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का राजपुर बड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 01.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 10 पर सि-च. 05/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार